

नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्यांक 20)

[31 जुलाई, 2021]

भारत में नौचालन सहायता के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन; नौचालन सहायता प्रचालक के प्रशिक्षण और प्रमाणन, उसके ऐतिहासिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक मूल्य का विकास करने के लिए; सामुद्रिक संधियों और अंतरराष्ट्रीय लिखतों, जिनमें भारत एक पक्षकार है, के अधीन बाध्यताओं की अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत सामुद्रिक संधियों और अंतरराष्ट्रीय लिखतों जैसे इंटरनेशनल कन्वेंशन फार दि सेफ्टी आफ लाइफ ऐट सी, 1974, यथासंशोधित; और अंतरराष्ट्रीय एसोसिएशन ऑफ मैरीन एंड्स एंड लाइट हाउस अथॉर्टीज मैरीटाइम बोएज सिस्टम में एक हस्ताक्षरकर्ता है;

और उक्त संधियों और लिखतों को प्रभावी करना आवश्यक समझा गया है, जो अन्य बातों के साथ, नौचालन सहायता, जलयान यातायात सेवाओं और ध्वस्त पोत सामग्री के चिह्नांकन का उपबंध करता है;

और भारत में जलयान यातायात सेवाओं के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन के लिए एक ढांचे का सृजन करने का उपबंध करना, नौचालन सहायता प्रचालक का प्रशिक्षण और प्रमाणन करना तथा नौचालन सहायता के ऐतिहासिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक मूल्य का विकास करना आवश्यक समझा गया है;

और भारत में सामुद्रिक नौचालन सहायता और जलयान यातायात सेवाओं के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन के प्रभुतासंपन्न कृत्यों के निर्वहन हेतु नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध्यों के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए ढांचे और उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का सरकार द्वारा सृजन करना और आवश्यक समझा गया है

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त
विस्तार
प्रारंभ

नाम,
और

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता अधिनियम, 2021 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, जिसके अंतर्गत राज्यक्षेत्रीय सागर-खण्ड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 में यथा विनिर्दिष्ट भारत के सामुद्रिक क्षेत्र भी हैं।

1976 का 80

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति किया जाएगा।

परिभाषाएं।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “प्रत्यायित प्रशिक्षण संगठन” से कोई ऐसा संगठन अभिप्रेत है, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 20 के अधीन प्रत्यायित किया गया है ;

(ख) “नौचालन सहायता” से जलयानों से बाह्य कोई युक्ति, प्रणाली या सेवा अभिप्रेत है, जिसको व्यष्टिक जलयानों और जलयान यातायात के सुरक्षित और दक्ष नौचालन के लिए डिजाइन किया गया है और प्रचालित किया जाता है, किन्तु इसका अर्थान्वयन जलयान यातायात सेवाओं को सम्मिलित करने के लिए तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो ;

(ग) “महानिदेशक” से धारा 4 के अधीन नियुक्त नौचालन सहायता महानिदेशक अभिप्रेत है ;

(घ) “जिला” से कोई क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन जिले के रूप में चिह्नित किया गया है ;

(ङ) “नौचालन में साधारण सहायता” से नौचालन में कोई सहायता अभिप्रेत है, जिसे केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नौचालन में साधारण सहायता घोषित कर सकेगी ;

(च) “विरासत प्रकाश स्तंभ” से धारा 23 के अधीन उस रूप में अभिहित नौचालन सहायता अभिप्रेत है ;

(छ) “नौचालन में स्थानीय सहायता” से नौचालन में कोई सहायता अभिप्रेत है, जो नौचालन में साधारण सहायता नहीं है ;

(ज) “स्थानीय प्राधिकारी” से कोई राज्य सरकार या अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका स्थानीय नौचालन सहायता पर अधीक्षण और प्रबंधन है ;

(झ) “नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध्य” से धारा 24 के अधीन उद्गृहीत शोध्य अभिप्रेत है ;

(ञ) “अधिसूचना” से भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और “अधिसूचित” पद का उसके व्याकरणिय रूपभेदों के साथ और सजातीय पदों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(ट) “स्वामी” से जलयान का स्वामी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत उसका रजिस्ट्रीकृत स्वामी, कोई व्यक्ति, जिसके पास जलयान का कोई भाग है, अनावृत नौका को चार्टर करने वाला, जलयान का प्रबंधक और प्रचालक भी है ;

1908 का 15

(ठ) "पत्तन" से भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 में यथा परिभाषित कोई पत्तन अभिप्रेत है ;

(ड) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

1963 का 54

(ढ) इस अधिनियम के अधीन निष्पादित किए जाने वाले किन्हीं कृत्यों के संबंध में "समुचित अधिकारी" से सीमाशुल्क अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अधीन गठित केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा वे कृत्य सौंपे गए हैं तथा इसके अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन समुचित अधिकारी के कृत्यों के निर्वहन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति सम्मिलित है ;

(ण) "नियम" से इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियम अभिप्रेत हैं ;

(त) "पोत" के अंतर्गत कोई चलत जलयान सम्मिलित है ;

(थ) "जलयान" के अंतर्गत प्रत्येक प्रकार का जलयान सम्मिलित है, जो सामुद्रिक वातावरण में उपयोग किया जाता है या उपयोग किए जाने के लिए सक्षम है जैसे पोत, नाव, चलत जलयान, मत्स्य जलयान, निमज्जनी, अर्ध निमज्जनी, हाइड्रोफवायल्स, अप्लवमान यान, जल-थल में चलने वाले यान, विंग-इन-ग्राउंड यान, प्लेजर यान, बार्जेस, लाइटर्स, चलत अपतट भेदन इकाइयां या चलत अपतट इकाइयां हैं ;

(द) "जलयान यातायात सेवा" से जलयान यातायात की सुरक्षा और दक्षता में सुधार करने के लिए तथा वातावरण की संरक्षा के लिए इस अधिनियम के अधीन कार्यान्वित की जाने वाली कोई सेवा अभिप्रेत है ।

1958 का 44

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु इस अधिनियम में परिभाषित नहीं हैं और वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम में उनके हैं ।

अध्याय 2

नौचालन में साधारण सहायता अभिहित करना

3. केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नौचालन में किसी सहायता को नौचालन में साधारण सहायता के रूप में अभिहित कर सकेगी ।

नौचालन में साधारण सहायता को अभिहित करने की शक्ति ।

अध्याय 3

महानिदेशक नौचालन सहायता

4. (1) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,—

(क) महानिदेशक ;

(ख) उपमहानिदेशकों ; और

(ग) जिलों के लिए निदेशकों,

की नियुक्ति कर सकेगी ।

(2) केंद्रीय सरकार उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए ऐसे क्षेत्रों को जिलों के रूप में चिह्नित कर सकेगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रत्येक अधिकारी, महानिदेशक के साधारण अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेगा ।

महानिदेशक, उपमहानिदेशकों और निदेशकों की नियुक्ति ।

महानिदेशक के कर्तव्य ।

5. महानिदेशक, केंद्रीय सरकार को नौचालन में सहायता से संबंधित विषयों पर सलाह देगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

केंद्रीय सलाहकार समिति ।

6. (1) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक केंद्रीय सलाहकार समिति की नियुक्ति करेगी ।

(2) केंद्रीय सरकार निम्नलिखित के संबंध में केंद्रीय सलाहकार समिति से परामर्श करेगी—

(क) नौचालन सहायता की स्थापना या प्रास्थिति या उनसे संबंधित कोई संकर्म ; या

(ख) नौचालन में किसी सहायता का वर्धन या फेरफार या हटाना ; या

(ग) नौचालन में किसी सहायता में या उसके उपयोग के तरीके में फेरफार ; या

(घ) नौचालन में सहायता से संबंधित किसी प्रस्ताव की लागत ; या

(ङ) उपधारा (3) के अधीन किसी उप-समिति की नियुक्ति ; या

(च) इस अधिनियम के अधीन सामुद्रिक नौचालन सहायता शोध्यों के लिए किन्हीं नियमों या दरों का बनाया जाना या परिवर्तन करना ।

(3) केंद्रीय सरकार, यदि वह आवश्यक समझती है तो, इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट किसी भी विषय के संबंध में उसे सलाह देने के प्रयोजनों के लिए उप-समितियों की नियुक्ति कर सकेगी ।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट केंद्रीय सलाहकार समिति और उप-समितियां इस अधिनियम द्वारा प्रभावित हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए या उसके विषय-वस्तु की विशेष जानकारी रखने वाले ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी ।

(5) उपधारा (3) में निर्दिष्ट केंद्रीय सलाहकार समिति और उप-समितियों के कारबार के संचालन की प्रक्रिया वह होगी, जो विहित की जाए ।

केंद्रीय सलाहकार समिति की कार्यवाहियों का अविधिमान्य नहीं होना ।

7. केंद्रीय सलाहकार समिति का कोई कृत्य या कार्यवाही केवल इस कारण से ही अविधिमान्य नहीं होगी कि—

(क) उसके गठन में कोई रिक्ति या कोई त्रुटि है ; या

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है ; या

(ग) उसकी प्रक्रिया में मामले के गुणावगुण को प्रभावित न करने वाली कोई अनियमितता है ।

अध्याय 4

नौचालन में साधारण सहायता का प्रबंधन

नौचालन में साधारण सहायता का प्रबंधन ।

8. नौचालन में सभी साधारण सहायता का विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन केंद्रीय सरकार में निहित होगा ।

नौचालन में सहायता से संबंधित केंद्रीय सरकार की शक्तियां ।

9. (1) केंद्रीय सरकार को नौचालन साधारण सहायता के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन से संबंधित निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :—

(क) नौचालन सहायता की स्थापना और अनुरक्षण ;

(ख) किसी नौचालन सहायता में वर्धन, फेरफार या उसे हटाना ;

- (ग) किसी नौचालन सहायता का फेरफार या परिवर्तन ;
- (घ) नौचालन में किसी सहायता, जो नौचालन की सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है, का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत करना ;
- (ङ) किसी संपत्ति, चाहे सार्वजनिक या प्राइवेट हो, में किसी नौचालन सहायता का निरीक्षण करने के प्रयोजन के लिए प्रविष्ट होने के लिए प्राधिकृत करना ;
- (च) निम्नलिखित से संबंधित किसी प्रयोजन के लिए किसी संपत्ति के माध्यम से, चाहे सार्वजनिक हो या प्राइवेट, किन्हीं मालों का परिवहन करना या परिवहन करवाना—
- (i) नौचालन में किसी सहायता का अनुरक्षण ; या
- (ii) नौचालन में किसी सहायता की स्थापना ;
- (छ) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी भूमि का अर्जन, आवश्यक हो—
- (i) अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए ; या
- (ii) संकर्म का अनुरक्षण करने के लिए ।

(2) केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजनों के लिए, धारा 4 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी अधिकारी को साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा प्राधिकृत करेगी ।

अध्याय 5

जलयान यातायात सेवाओं का प्रबंधन

10. (1) जलयान यातायात सेवाओं का विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन केंद्रीय सरकार में निहित होगा ।

जलयान यातायात सेवाओं का प्रबंधन ।

(2) केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को जलयान यातायात सेवा प्रदाता के रूप में प्राधिकृत कर सकेगी ।

11. केंद्रीय सरकार की जलयान यातायात सेवाओं के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन से संबंधित निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :—

केंद्रीय सरकार की जलयान यातायात सेवाओं से संबंधित शक्तियां ।

(क) जलयान यातायात सेवा प्रदाता को किसी प्राधिकृत क्षेत्र के भीतर जलयान यातायात सेवा प्रचालक के रूप में घोषित और प्राधिकृत करना ;

(ख) जलयान यातायात सेवा प्रशिक्षण और प्रमाणन का प्रत्ययन और अनुमोदन करना ;

(ग) जहां वह आवश्यक समझे, जलयान यातायात सेवाओं की स्थापना और प्रचालन करना ;

(घ) जलयान यातायात सेवा के किसी परिप्रेक्ष्य में वर्धन करना या फेरफार करना अथवा वर्धन करने या फेरफार करने के लिए किसी व्यक्ति से अपेक्षा करना ।

12. (1) केंद्रीय सरकार, धारा 11 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जलयान यातायात सेवाओं के लिए सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति करेगी ।

जलयान यातायात सेवाओं के लिए सक्षम प्राधिकारी ।

(2) सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति की रीति वह होगी, जो विहित की जाए ।

(3) सक्षम प्राधिकारी ऐसे कृत्यों का ऐसी रीति में निर्वहन करेगा, जो विहित की जाए ।

जलयान यातायात सेवाओं की स्थापना और प्रचालन के मानक।

13. भारत में जलयान यातायात सेवाओं की स्थापना और प्रचालन के मानक वे होंगे, जो विहित किए जाएं।

अध्याय 6

नौचालन में स्थानीय सहायता का निरीक्षण और प्रबंधन

नौचालन में स्थानीय सहायता का निरीक्षण करने की शक्ति।

14. (1) केंद्रीय सरकार धारा 4 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी को किसी स्थानीय नौचालन सहायता में किसी भी समय प्रविष्ट होने और निरीक्षण करने के लिए तथा उनके संबंध में ऐसी जांच करने के लिए या उनके प्रबंधन के लिए, जैसा ऐसा अधिकारी ठीक समझे, लिखित में प्राधिकृत कर सकेगी।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी स्थानीय नौचालन सहायता का प्रभारी है या उनके प्रबंधन से संबंधित है, उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को ऐसे नौचालन सहायता का निरीक्षण करने के लिए ऐसी सभी सूचना प्रस्तुत करेगा, जिसकी अधिकारी अपेक्षा करे।

(3) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी केंद्रीय सरकार को उसके पर्यवेक्षण और प्रबंधन के अधीन नौचालन सहायता या उनमें से किसी के भी संबंध में ऐसी सभी विवरणियां और अन्य सूचना प्रस्तुत करेगा, जैसा कि केंद्रीय सरकार अपेक्षा करे।

केंद्रीय सरकार द्वारा स्थानीय नौचालन सहायता का नियंत्रण।

15. (1) यदि केंद्रीय सरकार का धारा 14 के अधीन किसी निरीक्षण के पश्चात् या ऐसी अन्य जांच के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि जलयानों के हित में उनकी सुरक्षा के लिए या अन्यथा इस उपधारा के अधीन कोई निदेश आवश्यक या समीचीन है तो वह किसी भी स्थानीय प्राधिकारी को—

(क) उसके अधीक्षण और प्रबंधन के अधीन किसी नौचालन सहायता को हटाने या चालू न रखने या चलाने या चालू न रखने से विरत रहने या नौचालन में ऐसी किसी सहायता की प्रकृति में या उसके उपयोग के ढंग में कोई फेरफार करने या न करने से विरत रहने का ;

(ख) स्थानीय सीमाओं के भीतर, जिसमें स्थानीय प्राधिकारी अपनी शक्तियों का उपयोग करता है, किसी नौचालन सहायता को खड़ा करने, रखने या अनुरक्षण करने या उसे खड़ा करने, रखने या उसका अनुरक्षण करने से विरत रहने का,

निदेश दे सकेगी।

(2) स्थानीय प्राधिकारी नौचालन में किसी सहायता को खड़ा नहीं करेगा, रखेगा नहीं, हटाएगा नहीं या चालू न रखना रोकेगा नहीं या किसी नौचालन सहायता की प्रकृति या उपयोग के ढंग में तब तक फेरफार नहीं करेगा जब तक कि उसके ऐसा करने के आशय का कम से कम एक मास पूर्व केंद्रीय सरकार को लिखित नोटिस नहीं दे दिया जाता है :

परंतु आपात स्थिति की दशा में स्थानीय प्राधिकारी ऐसी कार्रवाई कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे तथा उसका तुरंत नोटिस केंद्रीय सरकार को और नौचालन सहायता में पहुंचने वाले या उसकी परिधि में आने वाले सभी जलयानों को यथासंभव देगा।

(3) यदि कोई स्थानीय प्राधिकारी—

(क) उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है ; या

(ख) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन किसी नौचालन सहायता के अधीक्षण या प्रबंधन से संबंधित प्रदत्त या अधिरोपित किसी शक्ति या कर्तव्य का पालन या निष्पादन करने में असफल रहता है या पालन या निष्पादन किसी अनुचित, अक्षम या अनुपयुक्त रीति में करता है ; या

(ग) किसी ऐसे कर्तव्य का निष्पादन करने के लिए पर्याप्त वित्तीय उपबंध करने में असफल रहता है,

तो केंद्रीय सरकार, लिखित आदेश द्वारा, ऐसे स्थानीय प्राधिकारी से निदेश का अनुपालन करने की शक्ति का उचित उपयोग करने या कर्तव्य के निष्पादन के लिए उस सरकार के समाधानप्रद रूप में, यथास्थिति, प्रबंध करने के लिए या उस सरकार के समाधानप्रद रूप से वित्तीय उपबंध करने में कर्तव्यों के निष्पादन के लिए ऐसी अवधि के भीतर, जैसी वह विनिर्दिष्ट करे, उचित प्रबंध करने की अपेक्षा कर सकेगी।

(4) यदि स्थानीय प्राधिकारी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर या ऐसे और समय के भीतर, जो केंद्रीय सरकार अनुज्ञात करे, उपधारा (3) के अधीन किए गए आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो केंद्रीय सरकार, यथास्थिति, शक्ति का उपयोग या कर्तव्यों का निष्पादन कर सकेगी या अपेक्षित वित्तीय उपबंध कर सकेगी और स्थानीय प्राधिकारी केंद्रीय सरकार को ऐसा करने में उपगत किसी व्यय की प्रतिपूर्ति करने के लिए दायी होगा।

16. केंद्रीय सरकार, स्थानीय प्राधिकारी के अनुरोध पर, उसके निमित्त स्थानीय नौचालन सहायता के अधीक्षण और प्रबंधन को हाथ में ले सकेगी तथा स्थानीय प्राधिकारी केंद्रीय सरकार को अधीक्षण और प्रबंधन की लागत को चुकाने के लिए यथा सहमत धनराशियों का संदाय करेगा।

केंद्रीय सरकार द्वारा नौचालन में स्थानीय सहायता का प्रबंधन।

अध्याय 7

नौचालन सहायता के कार्यकरण में बाधा उत्पन्न करना

17. (1) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी गतिविधियों पर निर्बंधनों को विनिर्दिष्ट करेगी, जो ऐसे नौचालन सहायता से विनिर्दिष्ट दूरी के भीतर किसी नौचालन सहायता के प्रचालन में हस्तक्षेप करते हैं या बाधा उत्पन्न करते हैं।

केंद्रीय सरकार की नौचालन सहायता में बाधाओं को हटाने या फेरफार करने की शक्ति।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी नौचालन सहायता या जलयान यातायात सेवा के कार्यकरण में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः हस्तक्षेप किया जा रहा है, केंद्रीय सरकार यदि उचित समझती है तो ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जो वह ऐसे हस्तक्षेप को हटाने या उसमें फेरफार करने के लिए आवश्यक समझे।

अध्याय 8

प्रशिक्षण और प्रमाणन

18. (1) किसी भी व्यक्ति को यथाविहित किन्हीं अनुषंगी कार्यकलापों सहित किसी नौचालन सहायता को किसी स्थान पर तब तक प्रचालित करने या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि वह यह प्रमाणित करते हुए एक वैध प्रशिक्षण प्रमाणपत्र धारण नहीं करता है कि ऐसे व्यक्ति को ऐसे नौचालन सहायता के प्रचालन में प्रशिक्षित किया गया है।

सरकार की नौचालन सहायता और जलयान यातायात सेवाओं के प्रचालकों को प्रशिक्षित और प्रमाणित करने की शक्ति।

(2) किसी व्यक्ति को यथाविहित किन्हीं अनुषंगी कार्यकलापों सहित किसी जलयान यातायात सेवा को किसी स्थान पर तब तक प्रचालित करने या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि वह यह प्रमाणित करते हुए एक वैध प्रशिक्षण प्रमाणपत्र धारण नहीं करता है कि ऐसे व्यक्ति को ऐसे जलयान यातायात सेवाओं के प्रचालन में प्रशिक्षित किया गया है।

(3) इस अधिनियम के अधीन जारी प्रशिक्षण प्रमाणपत्र भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र में वैध और प्रभावी होगा।

19. धारा 18 की उपधारा (1) और उपधारा (2) में वर्णित प्रमाणपत्र धारा 20 में निर्दिष्ट किसी प्रत्यायित प्रशिक्षण संगठन द्वारा ऐसे प्ररूप में, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, जारी किया जाएगा।

प्रमाणन।

प्रशिक्षण संगठनों का प्रत्यायन।

20. (1) केन्द्रीय सरकार, नौचालन के लिए सहायता और जलयान यातायात सेवाओं का प्रचालन करने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए या उनका निर्धारण करने के लिए प्रशिक्षण संगठनों को प्रत्यायित करेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार ऐसे प्रशिक्षण संगठनों का प्रत्यायन करेगी जो प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए या नौचालन के लिए सहायता और जलयान यातायात सेवाओं का प्रचालन करने वाले व्यक्तियों का निर्धारण करने के लिए ऐसे मानदंड, जो विहित किए जाएं, पूरा करते हों।

अध्याय 9

ध्वस्त पोत सामग्री का चिह्नांकन

ध्वस्त पोत सामग्री का चिह्नांकन।

21. केन्द्रीय सरकार, यदि आवश्यक समझे, धारा 4 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी को ऐसी रीति में जो विहित की जाए, किसी ध्वस्त पोत सामग्री को चिह्नित करने का निदेश दे सकेगी।

ध्वस्त पोत सामग्री को चिह्नित करने के लिए प्रतिपूर्ति।

22. ध्वस्त पोत सामग्री को चिह्नित करने के लिए खर्च, ऐसे जलयान के स्वामी या प्रचालक द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाएं, वहन किया जाएगा या उससे वसूल किया जाएगा।

अध्याय 10

विरासत प्रकाशस्तंभों का विकास

किसी नौचालन के लिए सहायता को विरासत प्रकाशस्तंभ के रूप में अभिहित करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति।

23. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उसके नियंत्रण के अधीन किसी नौचालन के लिए सहायता को विरासत प्रकाशस्तंभ के रूप में अभिहित कर सकेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन अभिहित विरासत प्रकाशस्तंभों का नौचालन के लिए सहायता या अन्यथा के रूप में उनके कृत्यों के अतिरिक्त ऐसी रीति में, जो विहित की जाएं, शैक्षिक, सांस्कृतिक और पर्यटन प्रयोजनों के लिए विकास करेगी।

अध्याय 11

नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध

नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध का उद्ग्रहण और संग्रहण।

24. (1) नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध, ऐसी दरों पर जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, उद्गृहीत और संग्रहित किए जाएंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन उद्गृहीत नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध भारत में किसी पत्तन पर पहुंचने वाले या उससे प्रस्थान करने वाले प्रत्येक पोत के संबंध में ऐसे व्यक्ति से, ऐसी रीति और ऐसे समय में जो विहित की जाएं, समुचित अधिकारी द्वारा संग्रहित किया जाएगा।

(3) संग्रहित किए गए, नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध के आगम भारत की संचित निधि में, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, जमा किए जाएंगे।

(4) प्रत्येक स्वामी, जो भारत के किसी पत्तन पर किसी पोत को पहुंचाता है या उससे प्रस्थान कराता है, शोध प्रदत्त करने के उसके दायित्व को स्वतः निर्धारित करते हुए समुचित अधिकारी के समक्ष, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, एक विवरणी फाइल करेगा।

नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध का उपयोग।

25. इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध इस अधिनियम की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए और उसके प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए उपयोग में लिया जाएगा।

26. (1) स्वामी, नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध्य केन्द्रीय सरकार के खाते में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, जमा करेगा।

(2) नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध्य के संदाय का निम्नलिखित के संबंध में उचित अधिकारी के द्वारा निकासी प्रदान करने के प्रयोजन के लिए सत्यापन किया जाएगा—

(क) पत्तन, जिस पर नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध्य संदत्त किया गया है;

(ख) संदाय की रकम ;

(ग) तारीख, जिसको नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध्य संदेय हुआ था ; और

(घ) पोत का नाम, टनभार और अन्य उचित वर्णन जिसके संबंध में संदाय किया गया है।

27. (1) उचित अधिकारी, जिसको धारा 24 की उपधारा (4) के अधीन विवरणी प्रस्तुत की गई है ऐसी जांच करने या कराए जाने के पश्चात्, जैसा वह उचित समझे और उसका यह समाधान होने के पश्चात् कि विवरणी में कथित विशिष्टियां सही हैं, आदेश द्वारा, पोत के स्वामी या मास्टर द्वारा संदेय नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध्य की रकम निर्धारित करेगा।

(2) यदि धारा 24 की उपधारा (4) के अधीन उचित अधिकारी को विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है, वह ऐसी जांच करने या कराए जाने के पश्चात् जैसा वह उचित समझे, आदेश द्वारा, पोत के स्वामी या मास्टर द्वारा संदेय नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध्य की रकम निर्धारित करेगा।

(3) नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध्य उद्गृहीत करने के लिए, पोत के टनभार पर संदेय ऐसे शोध्य के लिए, पोत का या चलत जलयान का टनभार वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अनुसार गिना जाएगा, जिसके अंतर्गत स्थोरा के वहन के लिए उपयोग किए जाने वाले ऐसे स्थान के कारण जहाज के टनभार में उक्त अधिनियम के अधीन जोड़े गए किसी स्थान का टनभार भी है।

(4) नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध्य उद्गृहीत करने के प्रयोजन के लिए किसी पोत का टनभार अभिनिश्चित करने के क्रम में उचित अधिकारी, यदि वह उचित समझे, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, किन्हीं दस्तावेजों के प्रस्तुत किए जाने, किसी व्यक्ति की उपस्थिति और किसी जलयान के निरीक्षण की अपेक्षा कर सकेगा।

28. (1) यदि किसी पोत का स्वामी, पोत के संबंध में, इस अधिनियम के अधीन देय नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध्य की रकम का संदाय करने से इंकार करता है या उपेक्षा करता है तो उचित अधिकारी पोत को उसके उपस्कर या उसके किसी भाग के साथ अभिगृहीत कर सकेगा और उसे अभिग्रहण या निरोध के खर्च के साथ नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध्य की रकम संदत्त किए जाने तक निरुद्ध कर सकेगा।

(2) यदि अभिग्रहण की तारीख से आगामी तीस दिन की समाप्ति के पश्चात् ऐसे नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध्य का कोई भाग असंदत्त रहता है तो उचित अधिकारी पोत या अभिगृहीत की गई अन्य चीजों का विक्रय करा सकेगा और विक्रय के आगम से अधिशेष असंदत्त नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध्य का विक्रय के खर्च के साथ तुष्ट कर सकेगा और उसके अधिशेष का, यदि कोई हो ऐसे व्यक्ति को जिसको वह देय है, प्रतिदाय करेगा।

29. अधिकारी जिसका कर्तव्य किसी पोत के लिए पोत निकासी प्रदान करना है पोत निकासी तब तक प्रदान नहीं करेगा जब तक कि पोत के संबंध में, इस अधिनियम के अधीन देय नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध्य की रकम और उसके अधीन अधिरोपित कोई

नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध्य से संबंधित प्राप्तियां और उनका सत्यापन।

नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध्य का निर्धारण और टनभार का अभिनिश्चयन।

नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध्य की वसूली।

पोत निकासी से इंकार।

जुर्माना संदत्त नहीं कर दिया जाता है या जब तक उसके संदाय के लिए प्रतिभूति उसका समाधान होने तक नहीं दी जाती है।

संदाय के लिए दायित्व के विषय में विवादों का अवधारण।

30. यदि कोई विवाद उद्भूत होता है कि इस अधिनियम के अधीन किसी पोत के संबंध में नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध्य, व्यय या खर्च अथवा ऐसे शोध्य, व्यय या खर्च की रकम देय है तो ऐसा विवाद, विवाद के किसी भी पक्षकार द्वारा इस संबंध में आवेदन किए जाने पर ऐसे स्थान, जहां विवाद उत्पन्न हुआ है, पर अधिकारिता रखने वाले सिविल न्यायालय द्वारा सुना जाएगा और अवधारित किया जाएगा।

एक पत्तन पर देय नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध्य का दूसरे पर वसूलनीय होना।

31. (1) किसी पोत का मास्टर, जिसके संबंध में किसी पोत पर नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध्य देय है, ऐसा शोध्य संदत्त किए बिना ऐसे पत्तन से पोत का प्रस्थान करा देता है तो उस पत्तन का उचित अधिकारी लिखित में भारत के किसी अन्य पत्तन, जिसको ऐसा पोत अग्रसर होना है, के उचित अधिकारी से अधिशेष असंदत्त नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध्य की वसूली अपेक्षित कर सकेगा।

(2) कोई उचित अधिकारी, जिसको ऐसी अध्यपेक्षा निर्देशित की जाती है, ऐसी रकम का उद्ग्रहण ऐसे करेगा जैसे कि वह इस अधिनियम के अधीन उस पत्तन पर देय था जिसका वह उचित अधिकारी है और उस पत्तन के उचित अधिकारी द्वारा जिस पर नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध्य प्रथम बार देय था, संदेय रकम वर्णित करते हुए दिया गया प्रमाणपत्र, इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में इस बात का पर्याप्त सबूत होगा कि ऐसी रकम देय है।

छूट।

32. केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा—

(क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से संबद्ध किसी पोत को, जो माल भाड़े या यात्री भाड़े के लिए स्थोरा या यात्रियों का वहन नहीं करता है; या

(ख) किसी अन्य पोत या पोतों के वर्गों अथवा विनिर्दिष्ट जलयानों करने वाले किन्हीं अन्य पोतों को,

नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध्य के संदाय से पूर्ण रूप से या उस विस्तार तक जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, छूट प्रदान कर सकेगी।

संदाय के आधिक्य का प्रतिदाय।

33. जहां नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध्य, इस अधिनियम के अधीन संदेय रकम के आधिक्य में किसी पोत के संबंध में संदत्त किया गया है तो ऐसे संदाय के आधिक्य के प्रतिदाय का कोई दावा तब तक अनुज्ञेय नहीं होगा जब तक कि वह ऐसे संदाय की तारीख से छह मास के भीतर नहीं किया जाता है।

फीस।

34. जलयानों को विशेष सेवाएं प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस की दर ऐसी होगी जो विहित की जाए।

अध्याय 12

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

प्राप्ति और व्यय।

35. केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध्य, व्यय, खर्च और जुर्माने के माध्यम से प्राप्त की गई सभी रकमों और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उपगत सभी व्यय का पृथक् लेखा अनुरक्षित कराएगी और प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र केन्द्रीय सलाहकार समिति के समक्ष ऐसा लेखा रखवाएगी।

वार्षिक रिपोर्ट।

36. (1) केन्द्रीय सरकार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व, इस अधिनियम के अधीन प्राक्कलित प्राप्तियों और उसके प्रयोजनों के लिए व्यय का विवरण आगामी वर्ष के दौरान केन्द्रीय सलाहकार समिति के समक्ष रखवाएगी।

(2) प्राक्कलित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श करके ऐसी रीति में जो विहित की जाए, तैयार किया जाएगा।

अध्याय 13

अपराध और शास्तियां

37. (1) जो कोई, साशय कोई कार्य करेगा या किसी कार्य का लोप करेगा, जिसका परिणाम किसी नौचालन के लिए सहायता या जलयान यातायात सेवा की प्रभावकारिता में बाधा या कमी या निर्बंधन है, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति दंड का दायी नहीं होगा, यदि वह—

(क) कार्य या लोप किसी जीवन या जलयान की रक्षा के लिए आवश्यक था; और

(ख) ऐसे व्यक्ति ने बाधा, कमी या निर्बंधन से बचने के लिए सभी समुचित कदम उठाए थे।

38. (1) जो कोई, उपेक्षापूर्वक कोई कार्य करेगा या किसी कार्य का लोप करेगा, जिसका परिणाम किसी नौचालन के लिए सहायता या जलयान यातायात सेवा की प्रभावकारिता में बाधा या कमी या निर्बंधन है, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति दंड का दायी नहीं होगा, यदि वह—

(क) कार्य या लोप किसी जीवन या जलयान की रक्षा के लिए आवश्यक था; और

(ख) ऐसे व्यक्ति ने बाधा, कमी या निर्बंधन से बचने के लिए सभी समुचित कदम उठाए थे।

39. (1) जो कोई साशय, कोई कार्य करेगा या किसी कार्य का लोप करेगा, जिसका परिणाम किसी नौचालन के लिए सहायता या जलयान यातायात सेवा को नुकसान पहुंचाना या नष्ट करना है, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो बारह मास तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति दंड का दायी नहीं होगा, यदि वह—

(क) कार्य या लोप किसी जीवन या जलयान की रक्षा के लिए आवश्यक था; और

(ख) ऐसे व्यक्ति ने बाधा, कमी या निर्बंधन से बचने के लिए सभी समुचित कदम उठाए थे।

40. (1) जो कोई, उपेक्षापूर्वक कोई कार्य करेगा या किसी कार्य का लोप करेगा, जिसका परिणाम किसी नौचालन के लिए सहायता या जलयान यातायात सेवा को नुकसान पहुंचाना या नष्ट करना है, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति दंडनीय नहीं होगा, यदि वह—

(क) कार्य या लोप किसी जीवन या जलयान की रक्षा के लिए आवश्यक था; और

(ख) ऐसे व्यक्ति ने बाधा, कमी या निर्बंधन से बचने के लिए सभी समुचित कदम उठाए थे।

41. (1) जो कोई, ऐसा कार्य करेगा या कोई कार्य करने का लोप करेगा, जिसका परिणाम किसी विरासत प्रकाशस्तंभ को नुकसान पहुंचाना या नष्ट होना है, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

नौचालन के लिए सहायता या जलयान यातायात सेवाओं को साशय बाधित करना।

नौचालन के लिए सहायता या जलयान यातायात सेवाओं को उपेक्षापूर्वक बाधित करना।

नौचालन के लिए सहायता या जलयान यातायात सेवाओं को साशय नष्ट करना या नुकसान पहुंचाना।

नौचालन के लिए सहायता या जलयान यातायात सेवाओं को उपेक्षापूर्वक नष्ट करना या नुकसान पहुंचाना।

विरासत प्रकाशस्तंभ को नुकसान पहुंचाना।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति दंडनीय नहीं होगा, यदि वह—

(क) कार्य या लोप किसी जीवन या जलयान की रक्षा के लिए आवश्यक था ; और

(ख) ऐसे व्यक्ति ने बाधा, कमी या निर्बंधन से बचने के लिए सभी समुचित कदम उठाए थे ।

नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध के संदाय का अपवंचन ।

42. किसी पोत का प्रत्येक स्वामी या मास्टर, जो इस अधिनियम के अधीन पोत के संबंध में देय नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध, व्यय या खर्चों के संदाय का अपवंचन करता है या अपवंचन करने का प्रयत्न करता है तो वह ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो इस प्रकार देय धनराशि के पांच गुना तक हो सकेगा ।

जलयान यातायात सेवा प्रदाता के निदेशों का अनुपालन ।

43. किसी पोत का प्रत्येक स्वामी या मास्टर, जो इस अधिनियम के अधीन जलयान यातायात सेवा से संबंधित जलयान यातायात सेवा प्रदाता द्वारा जारी किन्हीं निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो वह ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा ।

अपराधों का संज्ञान ।

44. (1) कोई न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किन्हीं अपराधों का संज्ञान केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किए गए किसी अधिकारी द्वारा की गई लिखित शिकायत के सिवाय नहीं करेगा ।

(2) महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

विचारण का स्थान और न्यायालय की अधिकारिता ।

45. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन कोई अपराध कारित करता है, उसकी जांच और विचारण साधारणतया ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर—

(क) ऐसा अपराध कारित किया गया था; या

(ख) ऐसा व्यक्ति पाया गया था; या

(ग) किसी ऐसे न्यायालय में, जिसे केन्द्रीय सरकार इस संबंध में अधिसूचना द्वारा निदेश दे; या

(घ) किसी ऐसे न्यायालय में, जिसमें तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन विचारण किया जा सकता हो ।

अध्याय 14

प्रकीर्ण

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

46. (1) केन्द्रीय सरकार, पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों का उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 5 के अधीन महानिदेशक के कर्तव्य;

(ख) धारा 6 की उपधारा (5) के अधीन केन्द्रीय सलाहकार समिति तथा गठित उपसमितियों की प्रक्रिया और कारबार का संचालन ;

(ग) धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति की रीति और उपधारा (3) के अधीन उसके कृत्य;

(घ) धारा 13 के अधीन जलयान यातायात सेवाओं के स्थापन और प्रचालन के लिए मानक;

(ङ) धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन नौचालन के लिए सहायता से संबंधित

सहायक क्रियाकलाप और उपधारा (2) के अधीन जलयान यातायात सेवाओं से संबंधित सहायक क्रियाकलाप ;

(च) धारा 19 के अधीन जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्ररूप और रीति तथा वह शर्तें जिनके अधीन रहते हुए प्रत्यायन प्रशिक्षण संगठन द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा और महानिदेशक द्वारा विधिमान्य किया जाएगा;

(छ) धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन प्रशिक्षण संगठन के प्रत्यायन के लिए मानदंड ;

(ज) धारा 21 के अधीन ध्वस्त पोत सामग्री का चिह्नांकन;

(झ) धारा 22 के अधीन ध्वस्त पोत सामग्री के चिह्नांकन के लिए जलयान के स्वामी से खर्च की वसूली की रीति;

(ञ) धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन अभिहित किए गए विरासत प्रकाशस्तंभों का विकास;

(ट) धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन उद्गृहीत नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध के उचित अधिकारी द्वारा एकत्रण की रीति और उपधारा (3) के अधीन इस प्रकार संग्रहित शोध के आगमों को जमा करने की रीति ;

(ठ) धारा 24 की उपधारा (4) के अधीन विवरणी फाइल करने का प्ररूप और रीति;

(ड) धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता शोध के संदाय की रीति ;

(ढ) धारा 27 की उपधारा (4) के अधीन दस्तावेजों को पेश करने, किसी व्यक्ति की उपस्थिति और उचित अधिकारी द्वारा किसी जलयान के निरीक्षण की रीति ;

(ण) धारा 34 के अधीन विशेष सेवाओं के लिए फीस की दरें ;

(त) धारा 36 की उपधारा (2) के अधीन भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के साथ परामर्श करके तैयार किए जाने वाली प्राक्कलित प्राप्तियों और व्ययों के विवरण का प्ररूप और रीति;

(थ) कोई अन्य विषय, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के प्रयोजन के लिए अपेक्षित किया जाए या विहित किया जाए ।

47. केन्द्रीय सरकार, उसके किन्हीं अधिकारियों को इस अधिनियम के अधीन उसके सभी या किन्हीं कृत्यों और उसे प्रदत्त सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रत्यायोजन कर सकेगी ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

48. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, महानिदेशक इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में नीति के प्रश्नों पर ऐसे निदेशों से बाध्य होगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे समय-समय पर लिखित में दिए जाएं ।

केन्द्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति ।

(2) क्या प्रश्न नीति का है या नहीं इस पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

49. केन्द्रीय सरकार या इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किए गए किसी अधिकारी के विरुद्ध, ऐसी किसी बात, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई है या किए जाने के लिए आशयित है, के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

50. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

नियमों और अधिसूचनाओं का संसद् के समक्ष रखा जाना।

51. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना बनाए या जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, यथास्थिति, उस नियम या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हो जाएं कि वह नियम या अधिसूचना नहीं बनाया या जारी की जानी चाहिए, तो तत्पश्चात् वह यथास्थिति, ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा/होगी या वह निष्प्रभाव हो जाएगा/जाएगी। तथापि, नियम या अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

निरसन और व्यावृत्तियां।

52. (1) प्रकाशस्तंभ अधिनियम, 1927 को निरसित किया जाता है।

1927 का 17

(2) प्रकाशस्तंभ अधिनियम, 1927 (जिसे इसमें इसके पश्चात् निरसित अधिनियम कहा गया है) के निरसन के होते हुए भी,—

1927 का 17

(क) निरसित अधिनियम के अधीन कोई अधिसूचना, नियम, विनियम, उपविधि, आदेश या जारी, दी गई या प्रदान की गई झूट, प्रतिसंहत किए जाने तक ऐसे प्रभावी होगी मानो वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी की गई थी, दी या प्रदान की गई थी;

(ख) निरसित अधिनियम के अधीन स्थापित या सृजित कोई कार्यालय, नियुक्त अधिकारी और निर्वाचित अथवा गठित कोई निकाय बना रहेगा और इस अधिनियम के अधीन यथास्थिति स्थापित, सृजित, नियुक्त, निर्वाचित या गठित माना जाएगा;

(ग) निरसित अधिनियम में निर्दिष्ट किसी दस्तावेज का इस अधिनियम या इस अधिनियम के उपबंधों में यथा निर्दिष्ट अर्थ लगाया जाएगा;

(घ) निरसित अधिनियम में उद्गृहीत कोई जुर्माना ऐसे वसूलनीय हो सकेगा मानो वह इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत किया गया था;

(ङ) निरसित अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध के लिए ऐसे अभियोजन किया जा सकेगा और ऐसे दंडित किया जा सकेगा मानो वह इस अधिनियम के अधीन किया गया है;

(च) निरसित अधिनियम के अधीन किसी न्यायालय के समक्ष लंबित किन्हीं कार्यवाहियों का विचारण या निपटारा इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया जा सकेगा ;

(छ) निरसित अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियुक्त किए गए और इस अधिनियम के प्रारंभ के दौरान बने रहने वाले अधिकारी ऐसे बने रहेंगे मानो उन्हें इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया है;

(ज) निरसित अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन या इसके द्वारा उस पद पर नियुक्त किया गया समझा जाएगा ;

(झ) निरसित अधिनियम के अधीन आदेश किया गया कोई निरीक्षण, अन्वेषण या जांच इस प्रकार जारी रहेगा मानो ऐसा निरीक्षण, अन्वेषण या जांच करने के लिए आदेश इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया था।